



छ.ग. शासन की शिक्षा योजनाओं का आदिम जाति पर प्रभाव (बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)

शकुन्तला राकेश

शोधार्थी, एम.फिल.(अर्थशास्त्र)

डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय,
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. प्रतिमा बैस

विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग

डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय,
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश—

माता शत्रु, पिता बैरी, येन बालानः पठित ।

न शोभते सम मध्ये, हंस मध्ये बफो यथा ।।

अर्थात्— अपने बच्चों को न पढ़ाने वाले माता पिता उनके शत्रु के समान हैं क्योंकि अनपढ़ मनुष्य किसी सभा में उसी प्रकार अशोभनीय होते हैं जैसे हंसों के मध्य कछुआ संस्कृत के इस सुक्ति से स्पष्ट है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व को बताने के लिए ऋषियों द्वारा अनेक श्लोक बताए गये हैं, इस सुक्ति में भी ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते उन्हें बैरी के समान बताया गया है। इसी शिक्षा को और अधिक सुविधा बनाने के लिए छ.ग. शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का गठन किया है ताकि शिक्षा सबको समान रूप से आसानी से सुलभ हो सके। परन्तु आज कुछ क्षेत्रों को ऐसे जाति निवास करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं और बहुत ही अर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें आदिम जाति कहा जाता है। उनके उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि पिछड़े वर्गों के जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जातियों के समुह शामिल हैं। बच्चों की शिक्षा के ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसे ही ध्यान में रख कर शासन द्वारा अनेक योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे आज शिक्षा में मजबूती आई है अतः शिक्षा के योजनाओं का विभिन्न तरह से आदिम जातियों पर प्रभाव पड़ा है।

परिचय—

सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में।

शिक्षा बिना ही पढ़ रहै है, आज हम सब क्लेश में,

शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सात्पात्र है।

शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है।

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता से हम भलिभांति समझ सकते हैं कि आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम देश में शिक्षा का विकास करें। बिना शिक्षा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति समाज एवं देश के लिए योग्य नहीं बना सकता शिक्षा के बिना देश के कल्याण कि अथवा अन्य किसी कल्याण की आशा करना व्यर्थ है। अतः देश के कल्याण तथा समाज की उन्नति के लिए छ.



ग. शासन द्वारा शिक्षा को और भी अधिक प्रेरणादायक सुविधा बनाने के लिए शिक्षा योजनाओं का निर्माण किया गया और शिक्षा को लेकर विशेष कानून भी पारित किया गया, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 न्यायोचित कानूनी ढांचे का प्रावधान करता है जो 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पुरा करने का अधिकार देता है।

शासन द्वारा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं छात्रवास, छात्रवृत्ति व मध्याह्न भोजन योजनाओं को लागू किया गया है। उनके बाद भी आज हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो शहरों के बसाहटों से दूर जंगलों के शांत वातावरण में निवास करता है जिन्हें आदिम जाति नाम से जाना जाता है "हमारे भारत के संविधान के 16 वें अनुच्छेद में 230 में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि समय समय पर आदिम जातियों अथवा आदिम समुदायों एवं इसके कुछ वर्गों समुहों को अनुसूचित घोषित करे तथा संविधान के उद्देश्यों के लिए इसी घोषणा के आधार पर उन्हें अनुसूचित आदिम जातियां कहा जायेगा।"¹ आदिम जातियों के जीवन आज भी कुछ जगहों पर बहुत ही दयनीय है आज भी वो अंधकार में निवास कर रहे हैं इसी अंधकार को शिक्षा रूपी दीप से रोशन करने के लिए "शासन द्वारा 1948-49 में जनजातियों के विधार्थियों को छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की गई और 1959-69 में इस योजनाओं का विकेंद्रीकरण कर दिया गया।"² इस तरह हम देखते कि शिक्षा को लेकर जो योजनाएं शासन द्वारा बनाई जा रही हैं, उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। और आज सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य होने के साथ साथ उसका महत्व दिनो दिन बढ़ता जा रहा है।

शिक्षा योजनाओं का प्रभाव:-

शिक्षा के महत्व के साथ-साथ शिक्षा योजनाओं का भी महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि योजनाओं की वजह से ही जिन गांवों में एक भी विद्यालय नहीं था और गिने चुने ही शिक्षित व्यक्ति थे वहां पर विद्यालय की स्थापना की गयी और लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति आई। लेकिन जितनी तेजी से विकास होना चाहिए था या जितनी गति से साक्षरता दर बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी। इसके कई कारण थे। इसमें बेरोजगारी और निर्धनता प्रमुख थी।

इसको देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर सबको शिक्षित और साक्षर बनाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए। अनेक गैर सरकारी या अर्धसरकारी योजनाएं भी काम कर रही थी। इसमें जहाँ लोग बहुत बढ़ी संस्था में अशिक्षित और निरक्षर थे, वहाँ पर उन्हें यह समझ में आने लगा कि बिना पढ़े लिखे न उनका कल्याण सम्भव है और न ही परिवार तथा समाज की उन्नति हो सकती है। यह भी समझ में आने लगा

¹ विकास का समाजशास्त्र- जी आर मदन प्रकाशन विवेक प्रकाश - जवाहर नगर दिल्ली 7 पेज नं. - 401।



कि शिक्षा वह अंधकार मिटाने का सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्ति परिवार और समाज का चहुमुखी विकास होता है।²

“भारत के संविधान में चौदह साल तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और बिना शुल्क की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इस दिशा में सन् 2002 में 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इससे देश के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त का मुलभुत अधिकार प्राप्त हो गया।³ इससे शिक्षा के प्रति जहाँ लोगों में नई चेतना जगी वही पर राज्यों के हर बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य हो गया।”⁴

“गांव के बच्चों के लिए यह आनंदोत्सव मनाने जैसा था। खासकर पिछड़े वर्ग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ। प्राथमिक शिक्षा को आंदोलन का रूप सबसे पहले दसवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इससे सबसे अधिक गांव के बेसहारा और अशिक्षित बच्चों को लाभ पहुँचा। क्योंकि धनाभाव के कारण गांव के बच्चें प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे। फिर 2003-4 में केन्द्र ने आवंटित धनराशि को बढ़ाकर 5217 करोड़ रुपये कर दिये। इससे सबसे अधिक गांव के बेसहारा और अशिक्षित बच्चों को लाभ पहुँचा।”⁵ सरकार से ग्रामीण बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए पोषाहार के नए कार्यक्रम को और अधिक बढ़ावा दिया। इसके लिए सरकार ने सभी केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत का उपकर लगाया। और केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाकर गाँवों में उन बच्चों को भी पढ़ाने का अवसर दिया जो स्कूल जाने में असमर्थ थे। इसमें वे भी शिक्षित हुए जो पढ़ने लिखने के उम्र में पढ़ नहीं पाए थे। इससे गांवों में नई रोशनी आई। बच्चे, बुड़े और महिलाओं को अक्षर ज्ञान का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है।

अध्ययन का महत्व—

1. इस शोध अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य आदिम-जाति के जीवन में शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना है।
2. आदिम जाति हैतु शासन द्वारा विभिन्न शिक्षा योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

निष्कर्ष—

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि शिक्षा के महत्व को देखते हुए केन्द्र और राज्यों की भागीदारी से यह असम्भव सा दिखने वाला कार्य अब सम्भव दिखाई पड़ने लगा है। केन्द्र सरकार अनेक शिक्षा योजनाओं के माध्यम से गांव के सभी बच्चों को शिक्षित बनाने का कार्य शुरू कर चुकी हैं इसमें जो राज्य पूरे मनोयोग से हाथ बटा रहे हैं। वहाँके सारे बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। और जिन राज्यों में केन्द्र के द्वारा आवंटित धन का ठीक

² <https://googleweblight.com>

³ goolegweblight.com

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.



उपयोग नहीं किया वहाँ आज भी गांवों में अशिक्षा का साम्राज्य फैला हुआ है सबसे ताज्जुब की बात यह है कि छ.ग. में ऐसे अनेक गांव है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध माने जाते है, लेकिन शिक्षा और साक्षरा के क्षेत्र में आज भी बहुत पीछे हैं।

परन्तु आज हम देखे तो छ.ग. शासन की सहभागिता से बड़े स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों को खोला जा रहा है वे वनवासी बच्चे जो कभी विद्यालय शब्द का नाम तक नहीं सुने थे, वे अब पढ़ाई करने के लिए खुशी खुशी वहाँ जाते हैं।

सुझाव:-

शासन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद गांवों के विकास के लिए बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। जितनी शिक्षा उन्हें चाहिए वैसी शिक्षा व्यवस्था किये बिना ग्रामीण विकास नहीं हो पाएगा। जो अशिक्षित है उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि उसे किसी भी स्तर पर दूसरो का सहारा नहीं लेना पड़े। आज भी अनेक गांव ऐसे है जहां बेरोजगारी, कुपोषण, शोषण, गरीबी, असमानता और भी अनके बुराई व्याप्त हैं इन सब बुराईयों को मिटाने के लिए एक ही हथियार है "शिक्षा" शिक्षा ही वह हथियार है जिससे विभिन्न बुराईयों का खातमा कर लोगों में जागरूकता बनाई जा सकती है। जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली और योजनाओं पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इससे गांवो से शहरो की ओर जो पलायन हो रही है उसपे भी रोक लगेगी। सिर्फ बुनियादी शिक्षा और अक्षर ज्ञान से ही गांवों का विकास सम्भव नहीं है, जो खर्च शिक्षा पर हो रहे है उनका सही सही उपयोग तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ लोगों में अशिक्षा को दूर और जागरूकता लाने की आवश्यकता है गांवों में आज भी 95 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। इसे ध्यान में रखकर ही सरकार को शिक्षा की योजनाएं बनानी चाहिए। तभी सरकार द्वारा आबंटित धन का सही तरह से उपयोग हो सकता है।
